

2/2/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 12/4/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

पत्रावली पेश हुयी आज स्थानांतरण एसीसियशन का प्रमाण किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 14/6/24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

14/6/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 20/8/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

30/8/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 22/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

20/11/24-

पत्रावली पेश हुयी / जर्नी - अर्जा/आदेश पर प्रकरण में अर्जा/आदेश प्रिपरीशन के सम्मन नोटिस रजिस्टर्ड रसीद पेश कर के नही करने पर आदेश 9 नियम 5 के तहत कार्यवाही की जायेगी पत्रावली दिनांक 20/11/24 को पेश हो

20/12/24

पत्रावली पेश हुयी। जर्नीगण एवं जर्नी आदेश अनुपस्थित। जर्नीगण एवं जर्नी आदेशवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजे लगावाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.50 PM हो चुका है। न्यायालय में जर्नीगण एवं जर्नी आदेशवक्ता को पुनः एक बार आवाज लगावाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।

— लगातार —

सहायक रीडर
भीलवाड़ा

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
 खानना व/२ राजीवार्ड

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए

20/12/24

प्राकीर्ण द्वारा उल्लूत मूल वाद सं. 2023
 अन्तर्गत धारा 88, 89, 92A व 188 अन्तर्गत
 राजस्थान काइतकारी आधिनियम को अदम हाजरी)
 अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्राकीर्ण
 द्वारा उल्लूत मूलवाद अदम हाजरी। अदम पैरवी में
 खारिज किया जाने से प्राकीर्ण द्वारा उल्लूत प्राकीर्ण
 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काइतकारी अधिनियम
 को भी अदम हाजरी। अदम पैरवी में ~~भी~~ खारिज
 किया जाता है। निष्पत्ति से इजलास सुनाया गया।
 पत्रावली नमूना शुमार लेकर दायरेल दफ्तर ले
 तथा नम्बर से कम हो।


 20/12/2024
 सहायक कलेक्टर
 भीलवाड़ा